

2022/60

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10:- 22/2022


तारीखरजू:- 14.2.2022

उनवान:- चन्दरी बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क्र	फर्द अहकाम	
-----	------------	--



4-2-22	<p>प्रार्थी की और से श्री स्वदेश कुमार बुनकर एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनकर अप्रार्थीगण का सर्वप्रथम जबाब प्रस्तुत कराया जाना उचित पाता हूँ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.02.2022 को पेश हो।</p>	<p>966 14/2/2022</p>
--------	---	--------------------------

  
 (दुर्गा प्रसाद मीना)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
 टोडाभीम जिला करौली

4-2-22	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित          पीठासीन अधिकारी... राजकाय... से नाटोली पंचोटे          पत्रावली गतानुसार दिनांक... 03.22...          को पेश हो।</p>	
--------	---	--

3-2-22	<p>पत्रावली पेश हुई / प्राची वकील उपस्थित /          अप्रार्थी नं० / पंचोटे सबकाट उपस्थित वारी          जबाब दिनांक 24-3-22 को पेश हो।</p>	<p>NDW</p>
--------	--	------------

24-3-22	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित          पीठासीन अधिकारी... राजकाय... से नाटोली पंचोटे          पत्रावली गतानुसार दिनांक... 5-4-22...          को पेश हो।</p>	
---------	--	--

5-4-22	<p>प्राची वकील उपस्थित / पोसाएव राजकाय से          नाटोली पंचोटे है। वारी अग्रिम आदेश          दिनांक 22-4-22 को पेश हो।</p>	<p>  </p>
--------	--	---

# प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपर  
नहीं हुआ। बार - बार आवाज दिलाई  
गई। प्रार्थी वकील एवं प्राथीगण में से  
कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः प्रार्थना पर अदम हानिरी  
एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली घिसल शुभ्राट होकर नम्बर से कम  
होकर नम्बर दारिखल दफ्तर हो।

(5)